प्रेस नोट थाना रोजा
शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक 27.02.25

थाना रोजा पुलिस द्वारा लोक विहार कॉलोनी, रेती रोड पर एक महिला को धारदार हथियार से गम्भीर रूप से घायल करने वाले एक अभियुक्त व दो अपचारी किशोरों को मय घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं अपराध मे संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना रोजा पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है।

दिनांक 25.02.2025 को वादी मुकदमा श्री शोभित श्रीवास्तव पुत्र श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, नि0 मोहल्ला लोक विहार कालोनी रेती रोड थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा उनकी पत्नी तथा बहन के साथ लूटपाट करने के उद्देश्य से मारपीट करने एवं धारदार हथियार से हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 114/25 धारा 109(1)/115(2)/333/309(4) बी.एन.एस. बनाम 1. प्रथम श्रीवास्तव पुत्र सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, नि0 नवाब वाला चौराहा, सराय काईयां, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर आदि 03 नफर अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1. प्रथम श्रीवास्तव पुत्र सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव तथा 2. दो अपचारी किशोरों को आज दिनांक 27.02.2025 को समय 12.30 बजे जमुका दोराहा से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल हीरो हॉण्डा CBZ-Extreme रंग काला रजिस्ट्रेशन नं0 UP27 R 8839 व 02 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन बरामद हुए। अभियुक्त तथा अपचारी किशोरों के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. प्रथम श्रीवास्तव पुत्र सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव नि0 नवाब वाला चौराहा, सराय काईयां, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 22 वर्ष
2. दो अपचारी किशोर

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान एवं समय:-

- दिनांक 27.02.2025 को समय 12.30 बजे जमुका दोराहा, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

विवरण पूछताछ:-

अभियुक्त प्रथम श्रीवास्तव ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने इण्डिया शेल्टर बैंक से चार लाख रूपये होम लोन लिया था, इसके अलावा मैंने अपने एक परिचित धीरज से 4 प्रतिशत ब्याज पर पिछले साल जून में तीन लाख रूपये लिए थे। अब पिछले करीब एक माह से धीरज अपने पैसे का तकादा कर रहा था, पिछले कई माह से मैं उसके ब्याज का पैसा भी नहीं दे पाया था, तो मैंने अपनी मौसी की लड़की चैतन्या से कहा कि मुझे तीन लाख रूपये उधार दे दो, वह तैयार हो गई, लेकिन जब पिछले हफ्ते मैं पैसे लेने गया, तो टाल मटोल करने लगी

और बोलीं कि अगले हफ्ते ले जाना। फिर दिनांक 25.02.2025 को मैं अपने दो दोस्तों के साथ इस उद्देश्य से गया था कि वह मुझे आज तीन लाख रूपये दे देगी और अपना कर्ज चुकाकर फिर धीरे धीरे मैं उसके पैसे लौटा दूँगा। हम तीनों घर गये, तो हमारी मौसी की लड़की चैतन्या तथा भाभी घर पर थीं, हम करीब 4.00 बजे वहाँ पहुँचे, चाय वगैरह पी। हम तीनों चैतन्या के कमरे में ही बैठे थे, मैंने पैसों के लिए कहा, तो उसने साफ मना कर दिया कि तुम वापस नहीं कर पाओगे, मैंने धीरज को भरोसा दे रखा था कि मैं आज तुम्हारा पैसा दे दूँगा। मैंने गुस्से में चैतन्या को धमकाया कि जब तुमने पैसों के लिए कहा, तो अब ऐन टाईम पर मना क्यों कर रही हो। इस पर चैतन्या आग बबूला हो गई और बोली कि अभी घर से निकल जाओ और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने चैतन्या को पकड़ लिया तथा उसका मुँह दबा लिया। दूसरे कमरे में भाभी भी थीं, वह कमरे से भागने की कोशिश कर रही थी, तब मैंने अपने दोनों दोस्तों से कहा था कि इसको पकड़ लो। मेरा एक दोस्त, जो साथ में था, जो आर्थोपैडिक एवं प्लास्टर टेक्निशियन का डिप्लोमा कर रहा है तथा जिला अस्पताल में भी जाता है। उस समय वह अस्पताल से ही आया था तथा सर्जिकल ब्लेड और ग्लव्स भी उसके पास थे। मैंने उसका मुँह बन्द कर रखा था तथा मेरे दोस्त ने अपने सर्जिकल ब्लेड से उसके गले पर वार कर दिया, जिससे वह वहीं गिर गई, उसकी चीख सुनकर भाभी वर्षा और नीचे से एक महिला किरायेदार ऊपर आ गई, तब हमें अपने किये पर पछतावा हुआ और हमने वर्षा भाभी से माफी माँगी कि हम इसे अस्पताल ले जा रहे हैं, इसकी जान बचा लेंगे, तुम इस बात को अब घरवालों को मत बताना। मेरी दूसरी मौसी की लड़की सलोनी भी आ गई तथा फिर हम सब चैतन्या को अस्पताल ले गये, जहाँ से उसे बरेली रेफर कर दिया। फिर मैं और मेरा एक दोस्त, जो घटना के दिन मेरे साथ ही था, राममूर्ति अस्पताल, बरेली भी साथ गये। जब बरेली अस्पताल में हमें पता लगा कि मेरे मौसा के लड़के शोभित को वर्षा ने सब कुछ बता दिया है और हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिख गई है, तब हम बरेली अस्पताल से छिपते छिपाते वापस शाहजहाँपुर आ गये। हमारा लूटपाट करने का कोई उद्देश्य नहीं था और न ही हमने कोई लूटपाट की। अगर लूटपाट का इरादा होता, तो हम अपनी मौसी की लड़की से उधार पैसे न माँगते।

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारी:-

- मु0अ0सं0 114/25 धारा 109(1)/115(2)/333/309(4) बी.एन.एस. थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 114/25 धारा 109(1)/115(2)/333/309(4) बी.एन.एस. थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी:-

- एक अदद मोटरसाइकिल हीरो हाण्डा CBZ-Extreme रंगा काला रजिस्ट्रेशन न0 UP27 R 8839
- 02 अदद एन्ड्राइड मोबाइल

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
2. निरीक्षक अपराध श्री गंगा सिंह, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
3. कां0 2227 अरुण तोमर, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
4. कां0 845 अंकित कुमार, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
5. कां0 2621 रितेश कुमार, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर